बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०–प्र०2 / विद्युत धारा–44 / 2003(खण्ड)–......15...... पटना, दिनांक–.....30/5/14.....

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रशाखाओं में पदस्थापित कनीय विद्युत अभियन्ताओं को निम्न विभव उपभोक्ताओं के परिसरों में अधिकत्तम 7 किलोवाट सम्बद्ध विद्युत भार के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अधीन सम्बंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखाओं में अभिनिर्धारण के लिए अभिनिर्धारण पदाधिकारी को पदाभिहित करती है।

2. यह अधिसूचना इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...................... / पटना, दिनांक .... /

प्रतिलिपि – उप सचिव, ई–बजट कोषांग, बिहार को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित इसकी 200 (दो सौ) प्रति इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

ह0 / –
उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक...................... / पटना, दिनांक .... /

प्रतिलिपि – सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली / अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, कोर– 3, पंचम तल, स्कोप कम्प्लेक्स, 7 इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।